भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2439

24.03.2022 को उत्तर के लिए

ई-अपशिष्ट को अवैध तरीके से डम्प करना

2439. श्रीमती फूलो देवी नेतम :
श्री जी. सी. चन्द्रशेखर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ई-अपशिष्ट के अवैध नौभार और डम्प करने की उच्च व्यापकता का संज्ञान लिया है;

(ख) क्या सरकार देश में अवैध नौभार और ई-अपशिष्ट को डम्प किए जाने से संबंधित आंकड़े रखती है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2017 से आज की तारीख तक इसकी राज्य और वर्ष-वार मात्रा कितनी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ई-अपशिष्ट को अवैध तरीके से डम्प करने की समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के आयात और निर्यात को इस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के तहत विनियमित किया जाता है। सरकार ने उक्त नियमों की अनुसूची VI (बेसल सं. क1180) में ई-अपशिष्ट को सूचीबद्ध करके देश में ई-अपशिष्ट के आयात को प्रतिबंधित कर दिया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने "अंतरदेशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और कंटेनर फ्राइट स्टेशन (सीएफएस) की कार्यप्रणाली पर लेखा परीक्षा निष्पादन" शीर्षक वर्ष 2018 की अपनी रिपोर्ट संख्या 16 में यह प्रतिवेदित किया है कि दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार खतरनाक अपशिष्टों के 469 कंटेनर एक से सत्रह वर्षों की अवधि तक बिना निपटान के लिए शेष थे, जिनमें किसी प्रकार के ई-अपशिष्ट के अवैध नौभार का उल्लेख नहीं किया गया था।

देश में ई-अपशिष्ट के प्रबंधन को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के तहत विनियमित किया जाता है। उक्त नियमों के तहत, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुकूल रीति से ई-अपशिष्ट के निपटान का उत्तरदायित्व, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के सिद्धांत के तहत उक्त नियमों की अनुसूची-। में यथा सूचीबद्ध अधिसूचित इलेक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) के उत्पादकों को सौंपा गया है। ईपीआर प्रणाली के अंतर्गत, ईईई के उत्पादकों को, पहले से बेचे गए ईईई से उत्पन्न अपशिष्ट के आधार पर अथवा ईईई की बिक्री के आधार पर, जैसा भी मामला हो, ई-अपशिष्ट संग्रहण और पुनर्चक्रण के वार्षिक लक्ष्य दिए जाते हैं।

देश में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के प्रवर्तन हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के माध्यम से अनुपालन की निगरानी की जाती है। प्रमुख कार्रवाई संबंधी बिंदुओं में गैर-ईपीआर प्राधिकार वाले उत्पादकों की पहचान करना, ई-अपशिष्ट की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची तैयार करना, ई-अपशिष्ट के प्रचालन के लिए उत्पादकों द्वारा उपलब्ध करायी गई प्रणाली का सत्यापन करना, भंजनकर्ताओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं की सुविधाओं का सत्यापन करना, अनौपचारिक कार्यकलापों की जांच करने के लिए अभियान चलाना, नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन करना और जन-जागरूकता कार्यकलाप आयोजित करना आदि शामिल हैं। इस कार्य योजना के तहत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के माध्यम से उत्पादकों की निगरानी और अनुपालन का कार्य सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, मौजूदा नियमों के तहत, उक्त नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

****